

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मोप्र० ग्वालियर

प्र. क्र. /निगरानी/ग्वालियर/भूराज०/2018

निगरानी - ०३७९/२०१९/ग्वालियर/म०४८

श्री जगदीश्वर स्त्री बालक अमृत
द्वारा आज दि. ५-३-१९
प्रस्तुत। ब्राह्मिक तर्क हेतु
दिनांक ३-४-१९ नियत।

तर्क वाँच कोड़ू : ३-१९
राजस्व मण्डल, ग्वालियर

मेनेस्टे इन्फास्ट्रक्चर इण्डिया प्रा०लिमि०द्वारा
डायरेक्टर श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरीसिंह
निवासी काजल टॉकीज के पीछे फालका
बाजार लश्कर ग्वालियर मोप्र० ...प्रार्थी

बनाम

मोप्र०शासन द्वारा कलेक्टर ग्वालियर मोप्र०
...प्रतिप्रार्थी

मोप्र०भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय आयुक्त
महोदय संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक ४/२०१८-१९ निगरानी
में पारित आदेश दिनांकी १७.१२.२०१८ के निर्णय के विरुद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, प्रार्थी के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम भदरौली में स्थित सर्व क्रमांक 845, सर्वे क्रमांक 846 सर्वे क्रमांक 847, सर्वे क्रमांक 848 सर्वे क्रमांक 853 कुल रकवा 1.100हेठो भूमि थी जो कि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज थी।

उक्त भूमि का डायवर्सन कराए जाने बावत् प्रार्थी ने अनुविभागीय अधिकारी मुरार के न्यायालय में मोप्र०भूराजस्व संहिता की धारा 172 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया अनुविभागीय अधिकारी मुरार द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जॉच हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख को भेजा गया अधीक्षक भू-अभिलेख एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके की जॉच की गयी जॉच के समय मौके पर उक्त भूमि कृषि भूमि के रूप में होने तथा प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं उक्त भूमि आवासीय उपयोग की होने के आधार पर भू-अधीक्षक अभिलेख शाखा द्वारा अपना प्रतिवेदन अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी मुरार के न्यायालय में भेजा गया। माननीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को मोप्र०भूराजस्व संहिता की धारा 172 (1) के प्रावधानों के अनुरूप पाते हुये प्रकरण क्रमांक ८५/२०१२-१३/१७२ (1) अ-२ में पारित आदेश दिनांक २६.०२.२०१३ को प्रार्थी की भूमि का डायवर्सन स्वीकार करते हुये डायवर्सन फीस एवं प्रीमियम जमा किये जाने

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 379/2019/ग्वालियर/भू.रा.

संख्या दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री मुकेश शर्मा, शासकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त द्वारा निगरानी प्रकरण में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 2(ग) के अंतर्गत निगरानी में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है।</p> <p> </p> <p>अध्यक्ष</p>	